न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 07/2020 (राजस्व अपील)
RCMS No. 2020/00025

उनवान

1. श्री सत्यनारायण पिता भेरूराम जी ब्राह्मण, निवासी थोबावाड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री चन्द्रशेखर पिता भेरूराम जी ब्राह्मण, निवासी थोबावाड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री श्रीराम शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2
3. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार झाडोल, प्र.स. 40/2020 दिनांक 04.09.2020

* निर्णय *

दिनांक— 12-03-2021

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार झाडोल, जिला उदयपुर निर्णय दिनांक 04.09.2020 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का थोबावाड़ा, तहसील झाड़ोल की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट द्वारा मौजा थोबावाड़ा, तहसील झाड़ोल में आराजी संख्या 840 के रकबा 0.0250 हेक्टेयर पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.09.2020 को निर्णय पारित कर मौके से बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया, जबकि अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी पर करीब 35 वर्ष पुराना मकान बना हुआ है, जिसमे अपीलान्ट परिवार सहित निवास कर रहा है, जिस पर रिपेयरिंग हेतु ग्राम पंचायत ने सिफारिश भी की एवं तथाकथित भूमि के दक्षिण दिशा मे अपीलान्ट का स्वयं का मकान भी बना हुआ हैं। उक्त मकान सरकारी योजना इन्दिरा आवास योजना से बनाया गया है एवं पुराना कब्जा होने से ही ग्राम पंचायत द्वारा उसे पट्टा जारी किया गया है। इस भूमि के चारो ओर अपीलान्ट द्वारा वाउण्ड्रीवाल बनायी गई है। कथित आराजी का कुल रकबा 0.1200

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.04.01 16:10:24 IST
Reason: SelfAttested

हेक्टेयर बता रखा है, जबकि अपीलान्ट का मकान मात्र 60X40 फीट पर ही बना हुआ हैं। अपीलान्ट कभी न्यायालय मे नहीं गया है एवं न ही उपस्थिति स्वरूप उसके हस्ताक्षर मौजुद हैं। चारागाह भूमियों पर बने हुए पुराने मकानो एवं बाड़ो को नियमन करने का प्रावधान हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित बेदखली का आदेश नियम विरूद्ध हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधि विरूद्ध आदेश को निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 1 तहसीलदार झाड़ोल की ओर से जवाब पेश हुआ कि अपीलान्ट 35 वर्ष पुराना कब्जा होने एवं सरकारी योजना से मकान बने होने की पुष्टि स्वरूप कोई दस्तावेज पेश नही कर सका। चारागाह भूमियां पशु पक्षियों के लिये आरक्षित होने से चारागाह भूमियों पर पट्टा जारी नही किया जा सकता हैं। न्यायहित मे अपीलान्ट को पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने से नियमानुसार बाद सुनवाई बेदखल करने का आदेश पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्माण असंगत तरीके से किया गया हैं। पटवारी रिपार्ट के अनुसार प्रार्थी के पास अन्य पक्का मकान आराजी संख्या 315 आबादी मे स्थित है, फिर भी उसके द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया हैं। अपीलान्ट का मुख्य व्यवसाय कृषि भूमि के साथ ही ईंटो का निर्माण कर बेचना हैं। अतिक्रमी की आर्थिक स्थिति ठीक हैं। चारागाह भूमियों पर नियमन नियम विरूद्ध हैं। अपीलान्ट द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर नियमानुसार बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है, जो नियमानुसार होने से अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावे। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 2 के नाम जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने से अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल से मूल पत्रावली संख्या 40/2020 तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्ट अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ करते हुए अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार झाडोल द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बताते हुए अपीलान्ट का 35 वर्ष पुराना कब्जा होना, इन्दिरा आवास योजना से मकान बनाया जाना, ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जाना, कब्जा नियमन योग्य होना, नियम विरूद्ध धारा 91 का नोटिस जारी करना, किसी ठाकुरदास नामक व्यक्ति का उपस्थित होना, नपती न करना आदि आधारो पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाडोल द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने की मांग की। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा भी बहस मे अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.04.01 11:10:24 IST
Reason: SelfAttested

बहस मे भाग लेते हुए राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राजस्व ग्राम थोबावाड़ा, तहसील झाड़ोल की आराजी संख्या 8 रकबा 0.1200 हेक्टेयर किस्म मगरी

।। भूमि राजस्व अभिलेख मे चारागाह दर्ज हैं। ग्रामवासी थोबावाड़ा, तहसील झाड़ोल द्वारा उपखण्ड़ अधिकारी झाड़ोल को प्रेषित शिकायत के आधार पर तहसीलदार झाड़ोल द्वारा पटवारी हल्का से कराई गई जांच के आधार पर उक्त भूमि मे अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया जाना पाया जाने से नियमानुसार प्रकरण संख्या 40/2020 दर्ज कर बाद सुनवाई अपीलान्ट को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया हैं। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील मे स्वयं चारागाह भूमि पर कब्जा करना स्वीकार किया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी धारा 91 के नोटिस की विधिवत तामिल भी हुई हैं। पंचायत द्वारा जारी पट्टे के संबंध मे कोई दस्तावेजी शहादत अपीलान्ट द्वारा पेश नहीं की गई हैं। पट्टे की कोई प्रति रेकर्ड पर नहीं हैं। यदि इनके पास पट्टा होता तो अवश्य ही प्रस्तुत करते। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधिनुकुल होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बह सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध अपीलान्ट की अपील, रेस्पोडेन्ट के जवाब, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदि का अवलोकन किया एवं उसमे वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। प्रकरण राजस्व ग्राम थोबावाड़ा, तहसील झाड़ोल की आराजी संख्या 840 चारागाह भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने से संबंधित है, जिसमे तहसीलदार द्वारा नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर धारा 91, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत नोटिस जारी कर अपीलान्ट को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया हैं। धारा 91 का नोटिस बाद तामिल प्राप्त होना अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट जाहिर है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट के इस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता की उसे प्रकरण के बारे मे जानकारी न हो। मामले मे अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया हैं। अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमित भूमि चारागाह है। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने का कथन किया गया है, किन्तु उसकी पुष्टि स्वरूप कोई दस्तावेज अपीलान्ट एवं उनके अधिवक्ता प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। अपीलान्ट स्वयं द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करना अपनी अपील मे स्वीकार किया हैं। ग्राम पंचायत को चारागाह भूमि पर पट्टे का काटने का कोई अधिकार प्राप्त नही हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 अनुसार ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते हैं। राजस्थान सरकार, राजस्व ग्रुप 6 विभाग, जयपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक प.10(3)राज–6/2001/15 दिनांक 17.04.2013 मे यह स्पष्ट किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील न. 1132/2011@SLP(C)No. 3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 28.0[illegible] चारागाह भूमियों/जोहड़–पायतन और तालाबों की भूमियों मे से [illegible] अथवा व्यव[illegible] उपयोग के लिये दी गई भूमियों अर्थात किये गये आवंटनों को अ[illegible] सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Punika
Date: 2021.04.01 11:10:24 IST
Reason: SelfAttested

वर्णित निर्णय के क्रम मे तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने बाबत् जारी किया गया आदेश नियमानुसार पाया जाता है, जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाडोल, जिला उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.09.2020 को यथावत रखा जाता है। साथ ही तहसीलदार झाडोल को निर्देश प्रदान किये जाते है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना मे यदि ऐसी भूमियों पर और भी ऐसे अतिक्रमण हो तो ऐसे अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए अतिक्रमियों के विरूद्ध भी धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करावे एवं भविष्य मे भी बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.04.01 11:10:24 IST
Reason: SelfAttested